राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सुम्मी उर्फ़ सुमित्रा बनाम द्वारका

606/2012

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीयां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 आपस में संगे भाई बहिन है एवं स्वर्गीय बद्री पुत्र सुण्डा की जायंदा संताने है। आराजी ख.नं. 28 रकबा 11 बीघा 16 विस्वा वर्तमान ख.नं. 28/1 रकबा 8 बीघा 16 विस्वा, ख.नं. 28/3 रकबा 15 विस्वा वाके ग्राम हरसोली तह. फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि का संम्वत 2011 में परचा सेटलमेंट बद्री व भगवाना पि. सुण्डा डाकोत के नाम बहिस्सा बराबर बराबर जारी किया गया था। इस प्रकार बद्री का उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा था। उपरोक्त आराजीयात में स्व. बद्री पुत्र सुण्डा का 1/2 हिस्सा था। विवादग्रस्त आराजीयात मौरूसी पुश्तैनी आराजीयात है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मौरूसी आराजीयात में वादीनी व प्रतिवादी सं. 1 स्व. बद्री की जायंदा संताने होने के कारण समान भाग के हकदार है किन्तु बद्री के स्वर्गवास बाद प्रतिवादी सं. 1 ने बसाज राजस्व कर्मचारियों के विवादग्रस्त आराजी ख.नं. 28/1, 28/3 के 1/2 हिस्से का बद्री का फौती नामा. अपने नाम अकेले के खुलवाकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि उसको ऐसा करने का कोई अधिकार नही था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादनी प्रतिवादी सं. 1 के दर्ज हिस्से में समान भाग यानि 1/4 हिस्से की खातेदारी की अधिकारी है व प्रतिवादी सं. 1 केवल 1/4 हिस्से का ही हकदार है। राजस्व रिकार्ड में खातेदारी 1/2 हिस्से की प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हो जाने से उसकी नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है ओर वह इसका नाजायज लाभ अर्जित करने की नियत से मौरूसी आराजीयात को रहन बैय मुतकिल विक्रय व हस्तांतरण करने पर उतारू था इसकी जानकारी वादीनी को दिनांक 20/05/99 को जब ग्राम हरसोली आयी तब अपने पीहर पक्ष के लोगो से हुई कि बद्री का फौती नामा. प्र.सं. 1 ने अपने नाम खुलवा लिया है और आराजी बेच रहा है इस पर वादीनी ने प्रतिवादी सं. 1 को ऐसा न करने को कहा तो वह इंकार हो गया व ऐलानिया जमीन बेचने की धमकी दी ऐसी स्थिति में वादीनी के लिए यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 व 2 पेश करना आवश्यक हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की और से जवाब वाद प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 26/09/2012 पारित करते हुये वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर रेस्पो. के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस समायत की गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि यह तथ्य स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थीयां एवं रेस्पो. संख्या 1 मूल खातेदार बद्री की जायन्दा सन्तान है, ऐसे में बद्री के ईन्तकाल उपरान्त उसके समस्त विधिक उत्तराधिकारीयो में उसके खाते की आराजी का अनुपातिक हस्तान्तरण विधि अनुसार किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक होता है एवं विधि के प्रावधानों के अनुसार भी पैतृक भूमि के सन्दर्भ में कब्जे की अवधारणा के आधार पर किसी विधिक वारिस/उत्तराधिकारी के हक़ अधिकारों को अनदेखा नही किया जा सकता | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से अपीलार्थीयां/वादी का पैतृक भूमि होना मानते हुये भी उनका कब्जा नही होना तथा बद्री की मृत्यु के पश्चात रेस्पो. संख्या 1 के पक्ष में नामान्तकरण खोले जाने के दौरान तथा उसके उपरान्त आपत्ति जाहिर नही किये जाने के मुख्य आधार पर वाद को ख़ारिज किया जाना उचित प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26/09/2012 विधिसम्मत प्रतीत नही होने से ख़ारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की सुनवाई कर विधिक प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुन: विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 03/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |